

मैसर्स आईबेक्स गौलाघर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

बनाम

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बेंगलौर

17 अगस्त, 2007

[न्यायाधिपति: डॉ. अरिजीत पसायत और डी.के. जैन]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944; उपधारा 2(बी) और 11 ए.सी., केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत जारी परिपत्र संख्या 58/1/2002 सीएक्स दिनांकित 15 जनवरी 2002, उप-शीर्षक 8543.90; परिपत्र संख्या 58/1/2002 सीएक्स दिनांक 15 जनवरी 2002, जिसे केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड सैन्ट्रल एक्साइज जारी किया गया केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम, 1985, उपशीर्षक 8543.90;

संयंत्रों और मशीनरी की उत्पाद शुल्क देयता - निर्धारिती द्वारा सौर विद्युत शक्ति बाड़ाबंदी तंत्र (सोलर इलेक्ट्रिक पावर फेंसिंग सिस्टम) को समंजन करना - उत्पाद शुल्क की एक

निश्चित राशि की मांग करते हुए राजस्व द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करना - प्राधिकारियों द्वारा शुल्क की मांग की पुष्टि की गई - निर्धारिती ने अधिकरण के समक्ष अपील दायर की - अधिकरण ने माना कि वस्तु उप - शीर्षक 8543.90 के तहत टैरिफ विवरण को संतुष्ट करता है और इस प्रकार उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी है - अपील पर, माना गया: मौके पर सम्मजन किए गए सामानों की उत्पाद शुल्क योग्यता के मुद्दे पर विभिन्न संदर्भों में ऐसे सामानों की उत्पाद शुल्क योग्यता के सवाल को स्पष्ट करते हुये सर्वोच्च न्यायालय के उत्पाद शुल्क सीमा के विषय में पारित निर्णय के आधार पर केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा पहले ही परिपत्र जारी किया जा चुका है। चूंकि अधिकरण द्वारा तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है, इसलिए परिपत्र और सीसीई, इंदौर बनाम विधि ब्रदर्स और सीसीई इंदौर बनाम सेथर वेसल्स में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में के संदर्भ में मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए उसके पास भेजना उचित होगा। दिशा-निर्देश जारी किए गए।

आयुक्त राजस्व विभाग ने अधिनियम की धारा 2 (बी) के संदर्भ में सौर विद्युत शक्ति बाड़ाबंदी तंत्र (सोलर इलेक्ट्रिक पावर

फेंसिंग सिस्टम) की उत्पाद शुल्क देयता की जांच करते हुए माना कि निर्धारिती द्वारा मौके पर उक्त वस्तु का सम्मजन करने से इसमें प्रयुक्त इसके सभी पुर्जों व वस्तुओं से अलग एक नया उत्पाद अस्तित्व में आएगा। इस प्रकार उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी हैं। तदनुसार, निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। निर्धारिती ने तर्क दिया कि विचाराधीन वस्तु सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क अधिनियम के टैरिफ उप - शीर्ष 8543.90 के तहत विद्युत मशीनों और उपकरणों के रूप में वर्गीकृत नहीं है, और इस प्रकार शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं है। अधिकारियों ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 ए के संदर्भ में बड़ी अवधि लागू की और मांग की गई शुल्क की पुष्टि की और अधिनियम की धारा 11 एसी के तहत जुर्माना भी लगाया। कंपनी के प्रबंध निदेशक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। व्यथित होकर, निर्धारिती ने एक अपील दायर की, जिसे अधिकरण ने यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि प्रश्नगत वस्तु उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी है और निर्देशों के अनुसार शुल्क की पुनर्गणना के लिए मामले को राजस्व विभाग को प्रतिप्रेषित कर दिया और प्रबंध निदेशक के खिलाफ जुर्माना घटाकर रुपये 50,000/- कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील की गई है।

अपीलकर्ता - निर्धारिती ने तर्क दिया कि सी.ई.एस.टी.ई.टी. द्वारा लिया गया दृष्टिकोण असमर्थनीय है क्योंकि निर्णय लेने वाले प्राधिकारी का यह मानना उचित नहीं था कि शुल्क अदा कर खरीदी गई वस्तुओं से संयंत्र का बनाना, एक नई विपण्य योग्य वस्तु का विनिर्माण करना हो एवं इसलिये शुल्क देय है।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए

माना: 1-1 मौके पर सम्मजन किए गए संयंत्र और मशीनरी की उत्पाद शुल्क देयता से संबंधित मुद्दा इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में निर्धारित किया गया है। वास्तव में इन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार द्वारा परिपत्र संख्या 58/1/2002 - सीएक्स दिनांकित 15 जनवरी, 2002 जारी किया गया है। परिपत्र इंगित करता है कि इसका उद्देश्य मौके पर सम्मजन किए गए संयंत्र और मशीनरी की उत्पाद शुल्क देयता के प्रश्न को स्पष्ट करना था।

क्वालिटी स्टील ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीसीई (1995) 75 ईएलटी 17 (एससी), मित्तल इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीसीई, मेरठ (1996) 88 ईएलटी 622

(एससी), सिरपुर पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम सीसीई, हैदराबाद (1998) 97 ईएलटी 3 (एससी), डंकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सीसीई, मुंबई (2000) 88 ईसीआर 19 (एससी), त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सीसीई (2000) 120 ईएलटी 273 (एससी) और सीसीई, जयपुर बनाम मैन स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (2001) 130 ईएलटी 401 (एससी) एवं सिलिका मेटलर्जिकल लिमिटेड बनाम सीसीई, कोचीन (1999) 106 ईएलटी 439 (अधिकरण), का हवाला।

(पद संख्या 7 व 8)

1-2 चूंकि सी.ई.एस.टी.ई.टी. द्वारा बुनियादी तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार नहीं किया गया था, इसलिए यह उचित होना कि सीसीई, इन्दौर बनाम विरदी ब्रदर्स एवं सीसीई, इन्दौर बनाम सेथर वेसल्स में दिए गए फैसलों और केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या 58/1/2002 सीएक्स दिनांकित 15 जनवरी 2002 के आलोक में मामले को नए सिरे से विचार के लिए विप्रेषित किया जाये।

(पद संख्या 9)

आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, इन्दौर बनाम वरदी ब्रदर्स,  
(2007) 207 ईएलटी 321 (एससी) एवं आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद  
शुल्क, इन्दौर बनाम सेन्थर वेसल्स लिमिटेड, (2007) 212 ईएलटी  
454 (एससी) हवाला दिया गया।

दीवानी अपीलीय अधिकारिता: दीवानी अपील संख्या 6790-  
6791/2005

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय  
अधिकरण, दक्षिण क्षेत्रीय पीठ, बँगलोर की अपील संख्या ई/1038,  
1309/2004 में पारित अंतिम आदेश संख्या 1312, 1313/2005  
दिनांकित 08-08-2005

वी. लक्ष्मी कुमारन, आलोक यादव और एम.पी देवनाथ,  
अपीलकर्ताओं के लिए ।

विकास सिंह एएसजी, अजय शर्मा और बी. कृष्णा प्रसाद,  
प्रतिवादी की ओर से ।

न्यायालय का निर्णय दिया गया:

**न्यायाधिपति: डॉ. अरिजीत पसायत जे.** 1. ये अपीलें सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण, दक्षिण क्षेत्रीय पीठ, बेंगलोर (संक्षेप में सी.ई.एस.टी.ई.टी.) के फैसले के खिलाफ निर्देशित की गई हैं। सी.ई.एस.टी.ई.टी. के समक्ष चुनौती केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बेंगलोर नंबर 3 द्वारा पारित मूल प्रकरण संख्या 7/04 के आदेश दिनांकित 14-07-2004 को दी गई थी। उक्त आदेश के द्वारा आयुक्त ने “सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा विद्युत ऊर्जा बाड़ तंत्र” को अस्तित्व में लाने की मांगों की पुष्टि की है। इसे उप-शीर्षक 8543.90 में ‘व्यक्तिगत कार्यों वाली अन्य विद्युत मशीनरी और उपकरण’ के रूप में वर्गीकृत किया गया था। आयुक्त ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (संक्षेप में अधिनियम, की धारा 11 ए के संदर्भ में बड़ी अवधि को लागू किया है। उन्होंने शुल्क की मांग की पुष्टि की और अधिनियम की धारा 11 एसी के तहत जुर्माने के रूप में राशि भी लगाई। प्रबंध निदेशक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। राजस्व विभाग के अनुसार उक्त वस्तु अर्थात् सौर ऊर्जा इलेक्ट्रिक पावर बाड़ लगाने के तंत्र के निर्माण एवं निकासी के लिये अपीलकर्ता विभिन्न वस्तुओं को बाहरी दुकानों से लाता है, जिन पर शुल्क का भुगतान भी किया जाता है जैसे कि विद्युत रोधक,

विद्युत रोधी परीक्षण किट, बैटरी चार्जर और विभिन्न चीजें बाहरी दुकानों से खरीदता भी है। वह जीआई तार, स्प्रिंग, बैटरी, सोलर पैनल और वोल्टेज स्टेबलाइजर आदि खरीदता है एवं उसके द्वारा किविधा पोस्ट, खम्भे और पाइप आदि जैसे सामान जॉब वर्क के आधार पर लिये/करवाये गये हैं और छह चैनल कंट्रोलर और की पैड आदि जैसे कुछ सामान आयात किए गये हैं। इन सभी को विभिन्न स्थलों पर बाड़ के रूप में खड़ा किया गया है। आयुक्त ने अधिनियम की धारा 2(बी) का अवलोकन कर अभिनिर्धारित किया है कि मौके पर बाड़ के निर्माण की प्रक्रिया इस वस्तु को, उपयोग किए गए सभी उत्पादों से अलग, एक नए उत्पाद के रूप में अस्तित्व में लाएगी। निर्धारिती के अनुसार, वस्तु दीवारों पर और अलग-अलग खंभों पर भी लगी हुई है और शीर्षक 8543.90 के तहत व्यक्तिगत कार्य वाली विद्युत मशीनों और उपकरणों के रूप में वर्गीकृत किये जाने योग्य नहीं है। अधिकरण ने निर्धारिती के तर्क का खंडन कर दिया और इस प्रकार अभिनिर्धारित किया कि:

“सावधानीपूर्वक विचार करने और आक्षेपित आदेश और अभिलेख की जांच करने पर, हम संतुष्ट हैं कि जो वस्तु अस्तित्व में आई है वह व्यक्तिगत कार्य वाला एक विद्युत उपकरण है।

सभी वस्तुओं को एक साथ लाकर इलेक्ट्रिक पावर फेंसिंग यंत्र को अस्तित्व में लाया गया है और इसे सौर ऊर्जा का उपयोग करके संचालित किया जाता है। राजस्व विभाग द्वारा कैटलॉग (वस्तु पुस्तिका) एवं प्रबंधक निदेशक के बयान के आधार पर कहा गया है कि वस्तु को स्थानांतरित किया जा सकता है और वस्तु को बचाया जा सकता है। यह केवल इसलिए नष्ट या विघटित नहीं होता है क्योंकि साक्ष्य का पुनः उपयोग करना है। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि वस्तु को दूसरे स्थान पर इस्तेमाल करते समय वह नष्ट हो गई है। एक-एक करके खड़ा करने से वस्तु अचल संपत्ति नहीं बन गई है। खम्भों को खड़ा किया जाता है और तारों को अन्य पुर्जों से जोड़ कर बाड़ लगा दी जाती है। जब जानवर इसे पार करना चाहते हैं तो बाड़ उन्हें बिजली का झटका देती है, यह न केवल विद्युत बाधा के रूप में बल्कि मनोवैज्ञानिक बाधा के रूप में भी काम करती है क्योंकि कोई भी मानव या घरेलू जानवर एक बार झटका महसूस करने के बाद दोबारा बाड़ के पास जाने का प्रयास नहीं करेगा। बिजली बाड़ तंत्र के विभिन्न भाग/पुर्जे बाहर से लाये जाते हैं, कुछ का निर्माण किया जाता है और कुछ का आयात किया जाता है। वे सभी सौर ऊर्जा बाड़ को एक तंत्र के रूप में अस्तित्व में लाने के लिए सम्मजित किए जाते हैं। खड़ा कर

लगाने के लिए कोई सिविल कार्य नहीं होता है और यह वस्तु अचल संपत्ति का हिस्सा नहीं बनती है, जैसा कि तर्क दिया गया है। इसलिए वस्तु टैरिफ विवरण को संतुष्ट करती है। हमारी सुविचारित राय है कि यह माल उपरोक्त अध्याय शीर्षक में उल्लेखित शुल्क के लिए उत्तरदायी है। तथापि मॉडवैट क्रेडिट और सह-शुल्क लाभ के लिए अपीलकर्ता की प्रार्थना को उपरोक्त निर्णय (सुप्रा) में निर्णीत अनुसार दिया जाना आवश्यक है। यह दलील कि मांग आंशिक रूप से कालातीत हैं क्योंकि विभाग को उनके द्वारा एकत्र किए गए 1998 के सभी विवरणों की जानकारी थी और 2003 में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस ने मांगों को कालातीत बना दिया है, यह एक अच्छी तरह से विचारित अभिवाक् है और उनको निम्नलिखित न्यायनिर्णयों की रोशनी में स्वीकार किया जाना आवश्यक है,

(1) कॉस्मिक डाई केमिकल बनाम सीसीई बॉम्बे (1995) 75  
ईएलटी 721 (एससी)

(2) सीसीई बनाम चेम्फर ड्रग्स एंड लाइनमेंट्स (1989) 40  
ईएलटी 276 (एससी)

(3) पद्मिनी प्रोडक्ट्स बनाम सीसीई (1989) 43 195  
(एससी)

(4) पुष्पम फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाम सीसीई बॉम्बे  
(1995) 78 ईएलटी 401 (एससी)

प्रबंध निदेशक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना अधिक है। इसलिए इसे घटाकर 50,000/- रुपये किया जाता है। श्री चक्र टायर्स के मामले में दिए गए वृहद पीठ के फैसले के आलोक में अपीलकर्ताओं द्वारा मॉडवैट का लाभ देने और क्लियरेंस को सह शुल्क मानने के बाद, फिर से निर्धारित करने के लिए मामला आयुक्त को प्रतिप्रेषित किया जाता है। केवल उत्पाद शुल्क की पुनर्गणना के लिए प्रतिप्रेषण द्वारा अपील स्वीकृत है। तदनुसार आदेश दिया जाता है।”

2- हालाँकि, प्रबंध निदेशक के मामले में जुर्माना घटाकर 50,000/- रुपये कर दिया गया।

3- अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय द्वारा मौके पर सम्मजन किए गए संयंत्र और मशीनरी पर उत्पाद शुल्क देयता पर विचार

किया गया है और इस न्यायालय के फैसले केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, इंदौर बनाम विर्दी ब्रदर्स मामले को आधारित किया गया था। [(2007) 207 ईएलटी 321 (एससी)]

4- दूसरी ओर, राजस्व विभाग के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि हालांकि कुछ मामलों में इस न्यायालय ने तथ्यात्मक पहलुओं पर निर्णय लेने के लिए मामले को सी.ई.एस.टी.ई.टी. को भेज दिया था, इस मामले में उन पहलुओं पर स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं जिनके लिए प्रतिप्रेषित किया गया है और इसलिए, निर्धारिती की अपील निराधार है।

5- विरदी ब्रदर्स मामले (सुप्रा) के अलावा इस न्यायालय द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, इंदौर बनाम सेथर वेसल्स लिमिटेड [2007 (212) ईएलटी 454 (एससी)] में भी इसी तरह के प्रश्न पर विचार किया गया था।

6- अपीलकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार, सी.ई.एस.टी.ई.टी. द्वारा लिया गया दृष्टिकोण असमर्थनीय है। निर्णायक प्राधिकारी का यह मानना उचित नहीं था कि शुल्क अदा कर खरीदी गई वस्तुओं से संयंत्र का बनाना, एक नई विषय योग्य वस्तु का विनिर्माण करना हो एवं इसलिये शुल्क देय है।

7- मौके पर सम्मजन किए गए संयंत्र और मशीनरी की उत्पाद शुल्क देयता से संबंधित मुद्दा इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में निर्धारित किया गया है, उदाहरण के लिए क्वालिटी स्टील ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीसीई (1995) 75 ईएलटी 17 (एससी), मित्तल इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीसीई, मेरठ (1996) 88 ईएलटी 622 (एससी), सिरपुर पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम सीसीई, हैदराबाद (1998) 97 ईएलटी 3 (एससी), सिलिका मेटलर्जिकल लिमिटेड बनाम सीसीई, कोचीन (1999) 106 ईएलटी 439 (ट्रिब्यूनल), डंकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सीसीई, मुंबई (2000) 88 ईसीआर 19 (एससी), त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सीसीई (2000) 120 ईएलटी 273 (एससी) और सीसीई, जयपुर बनाम मैन स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (2001) 130 ईएलटी 401 (एससी)।

8. वास्तव में इन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार द्वारा परिपत्र संख्या 58/1/2002-सीएक्स दिनांकित 15 जनवरी, 2002 जारी किया गया है। परिपत्र इंगित करता है कि इसका उद्देश्य मौके पर सम्मजन किए गए

संयंत्र और मशीनरी की उत्पाद शुल्क देयता के प्रश्न को स्पष्ट करना था। परिपत्र का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"Government of India

Ministry of Finance (Department of Revenue)

Central Board of Excise & Customs, New Delhi

Sub: Excisability of plant and machinery assembled at site-Regarding In exercise of the power conferred under Section 37B of the Central Excise Act, 1944, the Central Board of Excise and Custom considers it necessary, for the purpose of uniformity in connection with classification of goods erected and installed at site, to issue the following instructions.

2. Attention is invited to Section 37B Order No.53/2/98-CX, dated 2.4.98 (F.No.154/4/98-CD.4) (1998 (100 E.L.T.T9) regarding the excisability of plant and machinery assembled at site.

3. A number of Apex Court judgments have been delivered on this issue in the recent past. Some of the important ones are mentioned below:

(i) Quality Steel Tubes Pvt. Ltd v. CCE, (1995) 75 E.L.T. 17 (S.C.);

(ii) Mittal Engineering Works Pvt. Ltd. v CCE, Meerut, (1996) 88 E.L.T. 622 (S.C.);

(iii) Sirpur Paper Mills Ltd v. CCE, Hyderabad, (1998) 97 E.L.T.3 (S.C.);

(iv) Silica Metallurgical Ltd. v. CCE, Cochin (1999) (106) E.L.T. 439 (Tribunal) as

confirmed by the Supreme Court vide their order dated 22.2.99 (1999 (108) E.L.I. A58 (S.C.);

(v) Duncan Industries Ltd. v. CCE, Mumbai, (2000) 88 ECR 19 (S.C.);

(vi) Triveni Engineering & Industries Ltd. v. CCE, (2000) 120 E.L.T. 273 (S.C.)

(vii) CCE, Jaipur v. Man Structural Ltd, (2001) 130 E.L.T. 401 (S.C.)

4. The plethora of such judgments appears to have created some confusion with the assessing officers. The matter has been examined by the Board in consultation with the Solicitor General of India and the matter is clarified as under: -

a. For goods manufactured at site to be dutiable they should have a new identity,

character and use, distinct from the inputs/components that have gone into its production. Further, such resultant goods should be specified in the Central Excise Tariff as excisable goods besides being marketable i.e. they can be taken to the market and sold (even if they are not actually sold). The goods should not be immovable.

b. Where processing of inputs results in a new product with a distinct commercial name, identity and use (prior to such product being assimilated in a structure which would render them as a part of immovable property), excise duty would be chargeable on such goods immediately upon their change of identity and prior to

their assimilation in the structure or other immovable property.

c. Where change of identity takes place in the course of construction or erection of a structure which is an immovable property, then there would be no manufacture of "goods" involved and no levy of excise duty.

d. Integrated plants/machines, as a whole, may or may not be 'goods'. For example, plants for transportation of material (such as handling plants) are actually a system or a net work of machines. The system comes into being upon assembly of its component. In such a situation there is no manufacture of 'goods' as it is only a case of assembly of manufactured goods into a system. This cannot be compared to a

fabrication where a group of machines themselves may be combined to constitute a new machine which has its own identity/marketability and is dutiable (e.g. a paper making machine assembled at site and fixed to the earth only for the purpose of ensuring vibration free movement)

e. If items assembled or erected at site and attached by foundation to earth cannot be dismantled without substantial damage to its components and thus cannot be reassembled, then the items would not be considered as moveable and will, therefore, not be excisable goods.

xx xx xx xx

5. Keeping the above factors in mind the position is clarified further in respect of

specific instances which have been brought to the notice of the Board.

xx xx xx xx

(iii) Refrigeration/air conditioning plants. These are basically systems comprising of compressors, ducting, pipings, insulators and sometimes cooling towers etc. They are in the nature of systems and are not machines as a whole. They come into existence only by assembly and connection of various components and parts. Though each component is dutiable, the refrigeration/air conditioning system as a whole cannot be considered to be excisable goods. Air conditioning units, however, would continue to remain dutiable as per the Central Excise Tariff.

6. Based on the above clarifications pending cases may be disposed of. Past instructions, Circulars and Orders of the Board on this issue may be considered as suitably modified.

7. Suitable Trade Notice may be issued for the information and guidance of the trade.

8. Receipt of this order may please be acknowledged.

9. Hindi version will follow."

9. चूंकि CEGAT द्वारा बुनियादी तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार नहीं किया गया था, इसलिए हम विरदी ब्रदर्स मामले (सुप्रा) और सेथर वेसल्स मामले (सुप्रा) और उपरोक्त परिपत्र में दिए गए फैसलों के आलोक में मामले को नए सिरे से विचार के लिए मामला विप्रेषित (Remit) करना उचित समझते हैं।

10- बिना किसी लागत (खर्च) के आदेश के अपीलें तदनुसार निस्तारित की जाती हैं।

एस.के.एस.

अपील निस्तारित की।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ललित कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।